क्रिकेट | चतुर्थ फोर्स कप क्रिकेट प्रतियोगिता

एमपी पुलिस और आरपीएफ के बीच होगा फाइनल मुकाबला

जबलपुर, नवभारत। रेल सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा रेलवे ग्राउंड में चतुर्थ फोर्स कप क्रिकेट प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता रेल सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेलवे के मुखिया महानिरीक्षक राजीव यादव के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। शनिवार 14 मार्च को प्रतियोगिता के दोनों सेमीफाइनल मैच खेले गए, जिनमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। जिसमें पहला मुकाबला जैक आर्मी और एमपी पुलिस जबलपुर के बीच हुआ जिसमें एमपी पुलिस जबलपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एमपी पुलिस जबलपुर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 242 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए जैक आर्मी की टीम 18.1 ओवर में 177 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार एमपी पुलिस जबलपुर की टीम ने यह मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया।इस मैच के मुख्य अतिथि सीएसपी ओमती सोनू कुर्मी रहे, जिनके करकमलों से मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान किया गया।

आरपीएफ पहुंची फाइनल में

वही दूसरा सेमीफाइनल मैच आरपीएफ और जीआरसी आर्मी के बीच हुआ जिसमें आरपीएफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया पहले बल्लेबाजी करते हुए आरपीएफ की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए जीआरसी आर्मी की टीम 17.4 ओवर में 109 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार आरपीएफ की टीम ने यह मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया।

जबलपुर और डिंडोरी पहुंची सेमीफाइनल में

▶ अंतर जिला सीनियर महिला एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता

नवभारत, जबलपुर। एम पी सी ए स्टेडियम, नीमखेड़ा, जबलपुर में शनिवार को खेले गए मैच में जबलपुर जिले ने पांढुर्णा जिले को भारी अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पांढुर्णा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए महंगा साबित हुआ। जबलपुर ने 50 ओवर में 03 विकेट पर 334 रन बनाए। कप्तान प्रांजलि दुबे नाबाद 131 (124) रन बनाकर 11 चौके लगाईं, जबकि ऋषिका जैन नाबाद 147 (112) रन बनाकर 21 चौके जड़े। दोनों की 263 रनों की साझेदारी ने पांढुर्णा की टीम को दबाव में डाल दिया। माधुरी ने 21 रन जोड़े। जवाब में पांढुर्णा केवल 90 रन पर ऑलआउट हो गई। श्रद्धा ने 23 और अदिति यादव ने 10 रन बनाए। जबलपुर से भूमि पटेल ने 03, एलिशा विक्टर और पायल बाल्मिक ने 2-2, तथा श्रद्धा चौधरी और आकांशा ने 1-1 विकेट लिया। इस मैच के अंपायर पवन सिंधिया, प्रतीक खरे और स्कोरर सिमरन रही।

सेमीफाइनल होगा आज

मैच का पहला सेमीफाइनल आज सुबह 9 बजे एम पी सी ए स्टेडियम, नीमखेड़ा, जबलपुर में जबलपुर और डिंडोरी के बीच खेला जाएगा।

डिंडोरी ने सिवनी को 6 विकेट से हराया

प्रतियोगिता के दूसरे मैच में डिंडोरी ने शनिवार को सिवनी को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिवनी ने 10 विकेट पर 146 रन बनाए। नेहा उईके ने 44, सन्नो ने 21 और रागिनी ठाकुर ने 11 रन बनाए। डिंडोरी ने जवाब में 04 विकेट पर 147 रन बनाकर मैच जीत लिया। मोनिका पंवार ने 56 (55) रन, अपूर्वा यादव 47 और उमेश्वरी मरकाम 20 रन बनाए। सिवनी से रागिनी ठाकुर ने 02 और प्राची राठौर ने 1 विकेट लिया। इस

मां कर्मा देवी की 1010 वां जन्मोत्सव कल

नवभारत,जबलपुर। श्री माँ कर्मा साहू युवा संस्था साहू समाज की आराध्य देवी भक्त शिरोमणि माँ कार्म देवी की 1010 वां जन्मोत्सव कल सोमवार शाम 6 बजे मानस भवन, राईट टाउन स्टेडियम के पास मनाई जायेगी। संस्था के अध्यक्ष दीपक साहू ने बताया कि सर्वप्रथम माँ कर्मा देवी का दीप प्रज्जवलन के साथ पूजन पुष्पमाला, नारियल व माँ की खिचड़ी का भोग लगाकर माँ कर्मा की आरती की जाएगी। कार्यक्रम में मेघावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति-पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया जायेगा।

पश्चिम मध्य रेल

ई– निविदा सूचना

विद्युत विभाग (कर्षण–वितरण शाखा) जबलपुर

वरि मंडल विद्युत इंजीनियर / कर्षण–वितरण/पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर भारत संघ के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य करने के लिए अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित करते हैं। ठेकेदारों के पास राज्य सरकार द्वारा जारी विद्युतीय लायसेन्स (फर्म के नाम से या फर्म के किसी पार्टनर के नाम से या स्वयं के नाम में यदि सोल प्रोपराइटर हों, आई.ई. नियम 1956 के अनुसार होना चाहिए ।, **मापदंड :** (1) एन.आई.टी नं. जबल–टीआरडी–निविदा–2025–11 दिनांक 10.03.2026, **कार्य का नाम :** भेड़ाघाट (बीआरजीटी) : 2 लोडिंग लाइन और शंटिंग नेक की व्यवस्था, **कार्य स्थल :** जबलपुर मण्डल ।, **कार्य की अवधि :** 12 माह, **कार्य की कीमत (टेंडर वेल्यू) :** रुपये 1,79,10,386.21/–(रुपये एक करोड़ उनासी लाख दस हजार तीन सौ छियासी और इक्कीस पैसे मात्र), **बयाना राशि :** रूपये–2,39,600.00/–, **निविदा जमा करने /खुलने की अंतिम तिथि एवं समयः** 01.04.2026, 15:00 बजे/01.04.2026, 15:30 बजे, **मापदंड :** (2) एन.आई.टी नं. जबल–टीआरडी–निविदा–2025–14 दिनांक 12.03.2026, **कार्य का नाम :** न्यू कटनी जंक्शन के नए यार्ड और जबलपुर डिवीजन के अन्य स्थानों पर मौजूदा टावर के स्थान पर पोर्टल की स्थापना ।, **कार्य स्थल :** जबलपुर मण्डल ।, **कार्य की अवधि :** 12 माह, **कार्य की कीमत (टेंडर वेल्यू) :** रुपये 2,25,16,296.57/– रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख सोलह हजार दो सौ छियानवे और सत्तावन पैसे मात्र), **बयाना राशि :** रूपये–2,62,600.00/–, **निविदा जमा करने /खुलने की अंतिम तिथि एवं समयः** 06.04.2026, 15:00 बजे /06.04.2026, 15:30 बजे, **निविदा सूचना की पूर्ण जानकारी रेल्वे बेवसाईट :** https/www.ireps.gov.in निविदाकर्ता अपनी निविदाएँ आई आर ई पी एस की माध्यम से https://www.ireps.gov.in पर ऑन लाइन निविदा करें । निविदाकताओं से अनुरोध है कि वे समय समय पर बदलाव व शुद्धि पत्रों हेतु IREPS की व्यवसाइट https://www.ireps.gov.in देखते रहें न्यूनतम पात्रता मान दण्ड टेण्डर फार्म के अनुसार और ज्वाइन्ट वेन्चर व साझेदारी इस निविदा के लिए लागू होगा।

(हस्ता.)
वरि.मं.वि.इंजी./क.वि.
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

एक नजर में

शाश्वत एकादश, सप्तऋषि एकादश ने जीते मैच

नवभारत,जबलपुर। रानीताल स्थित वेलोड्रम ग्राउंड में चल रही ब्राह्मण प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में शाश्वत एकादश बनाम विशुद्धा एकादश के बीच मैच खेला गया जिसमें शाश्वत एकादश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए दस ओवर में 158 रन बनाए, जवाब में विशुद्धा एकादश की टीम महज 48 रन बना पाई और मैच हार गई। इसमें शाश्वत एकादश के अभय तिवारी को मैन ऑफ द मैच का पुरूस्कार दिया गया। इसके बाद दूसरा मैच सप्तऋषि एकादश बनाम शौर्य एकादश के बीच खेला गया था जिसमें सप्तऋषि एकादश ने पहले बैटिंग करते हुऐ, शौर्य एकादश को 87 रनों का लक्ष्य दिया था, शौर्य एकादश 42 रन ही बना पाई और मैच हार गई। इसमें सप्तऋषि एकादश के ललित तिवारी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। वहीं लीग का तीसरा मैच शाश्वत एकादश बनाम जय श्री राम एकादश के बीच खेला गया था जिसमें शाश्वत एकादश ने जीत हासिल की। आयोजक सिद्धार्थ तिवारी, सुवील तिवारी ने नवभारत को बताया कि इस मौके पर ब्राह्मण प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में आयोजन समिति के सभी सदस्य गण उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी को शाश्वत एकादश के कप्तान लोकेश शुक्ला को भी सम्मानित किया गया।

संतोषी माता पुन : महामंडलेश्वर पद पर सुशोभित

नवभारत,जबलपुर। खाटू श्याम डुमना आश्रम में 'हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा' के जयघोष के बीच किन्नर गुरु संतोषी माता को धार्मिक विधि-विधान के साथ पुन: महामंडलेश्वर पद पर विराजमान कराया गया। यह आयोजन अखाड़े के साधु-संतों की उपस्थिति में वैदिक रीति-रिवाजों से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में अखाड़ा संस्थापक महंत गिरधर नंदगिरी, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी राजेंद्र दास, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कान्हा दास, महंत गिरधर गिरी महाराज, सीताराम सीताराम दास (अनापत्ति), खाटू श्याम अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रतिमा महाराज, श्री श्री 1008 हनुमान दास जी महाराज (महामंडलेश्वर), महंत गोवर्धन दास व श्री श्री 1008 रुक्मणी नंदगिरी महाराज सहित राजस्थान, कोटा, मथुरा व उज्जैन से आए संत-महात्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व पार्षद सोनाबाई वर्मा, किरण तोमर, राजकुमार सोनकर सहित कई गणमान्य नागरिकों ने संतोषी माता को बधाई दी।

बीटेक एवं एमबीए छात्रों के लिए ओपन कैम्पस का आयोजन

नवभारत,जबलपुर। तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स में बी.टेक एवं एम.बी.ए छात्रों के लिए एम.पी. ऑनलाइन लिमि. द्वारा ओपन कैम्पस आयोजित किया गया। छात्रों ने प्लेसमेंट वार्ता, एप्टीट्यूड टेस्ट और लिखित परीक्षा दी। सफल छात्रों का साइकोमैट्रिक टेस्ट और फाइनल साक्षात्कार के बाद 4 छात्रों का चयन जबलपुर और रीवा में ट्रेनी के पद पर हुआ। इस अवसर पर चेयरमेन आर.एन. पहारिया, एच.आर. कुलदीप तिवारी, टीपीओ डॉ. नितिन गौर, प्रो. गुरबानी कौर पदम, प्रो. पलक पैगवार, चेयरमेन आर.एन. पहारिया, सचिव शरद कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव शरद जैन, ग्रुप डायरेक्टर डॉ. आई.के. खन्ना, प्राचार्य डॉ. बी.के. साहू उपस्थित रहे।

तक्षशिला ग्रुप ने मिन्ट कैपीटल के साथ किया एमओयू साइन

नवभारत,जबलपुर। तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स ने मिन्ट कैपीटल (एथोराइज्ड पार्टनर ऑफ एंजिल वन) के साथ एमओयू साइन किया। इस अवसर पर सीओओ यश चावला और तक्षशिला कॉलेज के चेयरमेन आर.एन. पहारिया उपस्थित थे। एच.आर.बी.पी. जसप्रीत परमार ने बताया कि एमओयू के तहत छात्रों को प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास और नियुक्ति के अवसर मिलेंगे। संस्था के चेयरमेन आर.एन. पहारिया, सचिव शरद कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव शरद जैन, ग्रुप डायरेक्टर डॉ. आई.के. खन्ना, प्राचार्य डॉ. बी.के. साहू ने चयनित छात्रों को बधाई दी।

कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी एवं प्रदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक/920/जि.भू.अ./2026 — **प्रारंभिक अधिसूचना** — सिवनी, दिनांक :06/03/2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरिका नहर की बजरवाड़ा माईनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अत: अधिनियम की धारा-11(3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

1- ग्राम का नाम :- बजरवाड़ा **ह.नं.-377** **ह.नं.-46**
2- रा.नि.मं. :- भोगा **तहसील :-सिवनी** **जिला :-सिवनी**
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 4.47 हेक्टेयर

स.क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का अधीन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं उत्तर	सीमाएं दक्षिण	सीमाएं पूर्व	सीमाएं पश्चिम	वृक्ष प्रजाति किस्म	वृक्ष संख्या	संरचना प्रकार	संरचना कुर्सी का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	282/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	दन्नू पिता फागू जाति गोंड पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	शासकीय	सरहद	कलसो पिता पुन्ने	शासकीय	—	—	—	—
2	289/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.25	कलसो पिता पुन्ने जाति गोंड पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	गोरधन पि. सुकलाल	सरहद	शासकीय	सरहद	—	—	—	—
3	289/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	सिरपत पिता नेवर जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	गोरधन पि. सुकलाल	शासकीय	शासकीय	कलसो आ. पुन्ने	—	—	—	—
4	288	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	गोरधन पिता सुकलाल यादव दरियापुर खुर्द देहली मुख्तयार आम गजानंद पिता ओंमकार अग्रवाल निवासी गाजियाबाद उ.प्र. पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	गोरधन पिता सुकलाल यादव	सिरपत पिता नेवर	कैसरबाई पति सिरपत	सरहद	—	—	—	—
5	265/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	मैंगलप्रसाद पिता दुलीचँद जाति मेहरा पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	कोरु पिता सुमत	गोवरधन पिता सुकलाल	दुलीचँद पि. श्रीराम	सरहद	—	—	—	—
6	235/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.11		उर्मीला पति परसराम	सरहद	शासकीय	जमनलाल पिता हरिसिंह	—	—	—	—
7	266/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	हरिप्रसाद दुलारी दुलीचंद पिता श्रीराम जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	झलकनी अमरसिंह	कैसरबाई पति निरपत	डब्बल पिता सिवराम	दुलीचँद पि. श्रीराम	—	—	—	—
8	265/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.29	कोरु पिता सुमत जाति गोंड पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	सकरवती पिता मोहनसिंह	मैंगलप्रसाद पिता दुलीचँद	उर्मीला पिता अमीरचँद	सरहद	—	—	—	—
9	265/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	मोहनलाल पिता कुंजीलाल सकरवती पत्नी मोहनलाल जाति गोंड़ पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	नेमीचंद पिता धरमचंद	झलकन पिता अमरसिंह	रुक्मणिसिंह पिता अमरसिंह	सरहद	—	—	—	—
10	264/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	नेमीचंद पिता धरमचंद जाति तेली पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	पुरुषोत्तम पिता धरमचंद	सकरवती पति मोहनसिंह	रुक्मणिसिंह पिता अमरसिंह	सरहद	—	—	—	—
11	264/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	पुरुषोत्तम पिता धरमचंद जाति तेली पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	प्रेमचँद पिता धूरसचँद	नेमीचंद पिता धरमचंद	रुक्मणिसिंह पिता अमरसिंह	सरहद	—	—	—	—
12	264/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	प्रेमचंद पिता धरमचँद जाति तेली पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	प्रेमचँद पिता धूरसचँद	पुरुषोत्तम पिता धरमचंद	प्रेमचँद पिता धूरसचँद	सरहद	—	—	—	—
13	110	भूमिस्वामी	कृषि	0.25		शासकीय	प्रेमचंद पिता धरमचंद	विनोद पिता रामचँद	शासकीय	—	—	—	—
14	111/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	विनोद पिता रामचंद जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	शासकीय	रुक्मणिसिंह पिता अमरसिंह	राजेश्वरी पिता बलवंत	प्रेमचंद पिता धरमचंद	—	—	—	—
15	108/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	देवीप्रसाद पिता मोहन डिमिया पत्नी देवीप्रसाद जाति गोंड़ पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	अमितकुमार पिता रोशनलाल	शासकीय	शासकीय	शांति पति परसराम	—	—	—	—
16	103/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	विनोद शिवहरे पिता देवलाल शिवहरे जाति कलार पता अंजनिया नए बसस्टैंड के पास छपारा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	अमितकुमार पिता रोशनलाल	देवीप्रसाद पिता मोहन	सुजाता पति श्रीनिवास	अमितकुमार पिता रोशनलाल	—	—	—	—
17	119	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	फूलमती बेवा अमीरचंद गुड्डू ओंकार बाबूलाल महतो काशीबाई पिता अमीरचंद सदी बबलू पिता महतु परसुतिया सद्दो पिता मेहतर गयाबाई बेवा मेहतर जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	शासकीय	शासकीय	—	—	—	—
18	104	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	अमित कुमार पिता रोशनलाल, सुबेसिंह पिता रविदत्त नरेन्द्र कुमार पिता श्रीनिवास जाति कुम्हार पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	पारसी बाई पति हरिसिंह	देवीप्रसाद पिता मोहन	सुजाता पति श्रीनिवास	अमितकुमार पिता रोशनलाल	—	—	—	—
19	117	भूमिस्वामी	कृषि	0.02		तेजलाल पिता बुरामन	शासकीय	शासकीय	शासकीय	—	—	—	—
20	64/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.29	घनश्याम पिता शुरामन जाति तेली पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वागी	चन्दी पिता बूरामन	अभिकुमार पिता रोशनलाल	तेजलाल पिता बूरामन	शासकीय	—	—	—	—
21	243/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	सुनील पिता जमनलाल जाति गोंड पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	जमनलाल पुत्र हरिसिंह	सरहद	मैंगलप्रसा द पि. दुलीचैद	सरहद	—	—	—	—
22	243/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	अनिल पिता जमनलाल जाति गोंड पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	मैंगलप्रसा द पि. दुलीचैद	अनिल पिता जमनलाल	सुनील पि. जमनलाल	सरहद	—	—	—	—
23	243/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	जमनलाल पिता हरिसिंह जाति गोंड पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	अनिल पिता जमनलाल	सुनील पि. जमनलाल	मैंगलप्रसाद पि दुलीचैद	सरहद	—	—	—	—
24	243/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	दिनेश पिता जमनसिंह जाति गोंड पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	जमनलाल पुत्र हरिसिंह	अनिल पुत्र जमनलाल	मैंगलप्रसाद पि दुलीचैद	सरहद	—	—	—	—
25	236/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	पूजा साहू पत्नी अजय कुमार साहू जाति तेली पता भीमगढ़ रैयत छपारा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	लक्ष्मीबाई पति महीलाल	उर्मीला पिता परसराम	—	—	—	—
26	236/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	मुकन्दीलाल पिता परसराम जाति तेली पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	लक्ष्मीबाई पति महीलाल	उर्मीला पिता परसराम	—	—	—	—
27	236/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	लक्ष्मीबाई पत्नी मिहीलाल जाति तेली पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	प्रमीला राय पति वेरेन्द्र राय	उर्मीला पिता परसराम	—	—	—	—
28	234/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	मीना पत्नी देवीचंद साहू जाति तेली पता कलारबाकी सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	मुकेश पिता श्यामलाल	मीना पति देवीचंद	—	—	—	—
29	234/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.09		शासकीय	शासकीय	प्रेमबाई पति खिहारान	मीना पत्नी देवीचंद	—	—	—	—
30	234/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	मुकेश पिता श्यामलाल जाति तेली पता बांदरा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	प्रेमबाई पति खिहारान	मीना पत्नी देवीचंद	—	—	—	—
31	164	भूमिस्वामी	कृषि	0.24	मिहीलाल पिता भजनलाल जाति तेली पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	अमन पिता घनश्याम	शासकीय	सुकनाराबाई पति शंकरदास	झीनीबाईपति भजनलाल	—	—	—	—
32	163/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	सुकनाराबाई बेवा शंकरदास पुरुषोत्तम राजेश रोहित सरस्वती पिता शंकरदास जाति ब्राम्हण पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	अमन पि. घनश्याम	शासकीय	बैजन्ती राय पिता कन्यकुमार राय	झीनीबाई पिता नजनलाल	—	—	—	—
33	161	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	भगवानदास साहू पिता मुरारीलाल साहू जाति तेली पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	शासकीय	शंकर पि. भगवानदास	शासकीय	ओमप्रकाश पिता कुंदनलाल	—	—	—	—
34	151	भूमिस्वामी	कृषि	0.23	श्यामसिंह पिता आसाडूलाल जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	झीनीबाई पिता धुरिया	शासकीय	विषनलाल पिता रतन	झीनीबाई पिता धुरिया	—	—	—	—
35	150	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	झीनीबाई पिता धुरिया, सेहतर मेहतर सुनेलाल कन्हैया सुनियाबाई पुनियाबाई पिता मारु देवेन्द्र राजकुमारी राजवती पिता जनमीलाल सुखवती बेवा जनमीलाल ठकरु पिता रेखलाल जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	रेखन पिता पक्कम	शासकीय	श्यामसिंह पिता आसाड	रामबगस पिता दसरी	—	—	—	—
36	147	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	रामबगस इत्तू सुकरती जगोती फूलकुमारी सुवेती पिता पुन्त्री दसरी बेवा पुन्त्री गीता कमल सीता पिता शिवपाल गोपाल रामफल शेवती मानती कविता पिता मछला जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	दिलीपचँद पिता मक्खू	शासकीय	झीनीबाई पिता धुरिया	रामकिशन पिता जंगलीराम	—	—	—	—
37	145/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	युनूस खान पिता उस्मान खान जाति मुसलमान पता भगतसिंह वार्ड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	कुंवरचंद पता मक्खू	शासकीय	रामबगस पिता दसरी	अमितकुमार पिता रोशन		—	—	—
38	145/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	क्रांतिबाई साहू पत्नि पदम कुमार साहू जाति तेली पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	कुंवरचँद पता मक्खू	शासकीय	रामबगस पिता दसरी	अमितकुमार पिता रोशन	—	—	—	—
39	148/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	कुंवरचंद पिता मक्खू जाति तेली पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	छिम्मी पिता छतरी	आशोक कुमार पिता रविदत्त	दिलीपचँद पिता मक्खू	कल्लीराम पिता बरदी	—	—	—	—
40	135	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	सुफरो दुकलो पुत्री छत्तर पिरमाबती बेवा छत्तर जाति गौंड़ पता बजरवाड़ा सिवनी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	कपूरचंद पिता मक्खू	रामकिशन पिता जगलीराम	कपूरचंद पिता मक्खू	देवी पिता दित्तकूँ	—	—	—	—
	40			4.47	योग								

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है। (2)अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है। (3) अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। (4) अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे। **मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार**

(पूर्वी तिवारी)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी
जिला-सिवनी (म.प्र.)

(शीतला पटले)
कलेक्टर सिवनी एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला-सिवनी (म.प्र.)

जी–27263/25

स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता